(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 10-4/A/693/1995 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-7-1994- पारित द्वारा - अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 83/1993-94 अपील

भैयालाल पुत्र बल्देव राम ब्राहमण
ग्राम बढ़ौरा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी, मध्यप्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

जगदीश प्रसाद पुत्र काशीनाथ ब्राहमण
ग्राम बढ़ौरा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0 ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह अपील अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 83/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-1994 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बढ़ौरा में उसके स्वामित्व की भूमि है नवनिर्मित खसरा क्रमांक 132 में उसके स्वामित्व की भूमि में से अंश रकबा 0.05 है. अपीलांट के खाते से कम किया गया है जिसका सुधार किया जाय। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्र0क0 4 अ 74/1993-94 पॅजीबद्ध कियातथा जांच एंव सुनवाई

करके आदेश दिनांक 6-5-1994 पारित किया तथा जांच प्रतिवेदन में संलग्न प्रस्तावित नक्शा प्रदर्स पी-2 के अनुसार ग्राम बढ़ौरा की आराजी नंबर 132 के अंशभाग 0.05 है. सा.नं. 2095 से निर्मित कर जगदीश प्रसाद के खाते से कम करके भैयालाल की मेड़ का नक्शा एंव अभिलेख सुधार करते हुये उसके भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 83/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-1994 से अपील स्वीकार की एंव बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 6-5-1994 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 6-5-1994 को इस आधार पर निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 7-7-1994 के पद 8 में विवेचित किया है कि -

" भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 257 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सिविल न्यायालय भू राजस्व संहिता की धारा 107 (5) के प्रकरणों में निर्णय नहीं दे सकते। इस प्रकार बंदोबस्त अधिकारी का आदेश त्रृटिपूर्ण है "।

अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 7-7-1994 में विवेचित किया है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी जगदीश प्रसाद के स्वत्व की खसरा नंबर 132 में से 0.05 हैक्टर रकबा कम करके उत्तरवादी भैयालाल को देने का बंदोवस्त अधिकारी का निर्णय नियमों के विपरीत है क्योंकि बंदोवस्त अधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही उसे पक्षकार बनाया गया। ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है एंव हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिये बिना किया गया नामान्तरण

शून्यवत् होता है। इस तरह का निर्णय 1992 रा0नि0 328 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सीधी द्वारा दिनांक 5-3-90 को पारित आदेश में खसरा नंबर 132 का कोई वर्णन नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 6-5-1994 में कमियॉ पाकर उसे निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति न होना परिलक्षित है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 83/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-1994 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये अपील अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर